

प्रेषक,
मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

STO-1158
14/8/17

- सेवा में,
1- महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उ०प्र० शासन।

गृह(मानव अधिकार)अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2017

विषय-उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ में सदस्य के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु मा० उच्च न्यायालय के कार्यरत/सेवानिवृत्त मा० न्यायाधीशों के नामों का पैनेल/सूच उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ में सदस्य का पद जुलाई, 2017 से रिक्त चल रहा है, जिसपर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जानी है।

2- अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य पद पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 धारा-21 में विहित प्राविधानानुसार 70 वर्ष से कम आयु वाले उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक मा० उच्च न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मा० न्यायाधीशों एवं उस राज्य में कम से कम सात वर्षों तक जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो उनके नामों का पैनेल/सूचना एवं उनकी सहमति/अनुमति सहित उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा० आयोग में सदस्य के पद पर नियुक्ति की जा सके।

6418/LR
14/8/17

अ.प्र.शा.
(महानिबंधक)

14-08-17
(मुशीर अहमद अब्बासी)
प्रभारी प्रमुख सचिव
न्याय एवं विधि परामर्शी
उ० प्र० शासन

मणि प्रसाद मिश्र
14/8/17

ओ. ज. च. ल. ल.
14.8.17
विधि विभाग
उ० प्र० शासन

भ.प्र.श्री.य.
11.08.17
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।